

Topic - Formation of constituent
Assembly

Class - B.A. Degree - II (Hons, Paper - III)
Unit - I

Subject - Political Science

Date - 5 April, 2021

By Rahul Kumar SLa.

संविधान सभा :-

किसी भी सम्प्रभुता संघन लोकतांत्रिक
राष्ट्र की संविधान रचना का काम सामान्यतया
उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया
जता है। संविधान पर विचार करने तथा
उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने
गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा
कहा जाता है।

संविधान सभा की संकल्पना भारत में
सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ
जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का
विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने
देश के लिए संविधान का निर्माण कर

ले, 1919 के एक्ट के क्रिय में अंतर्निहित था। किंतु भारत को लोकविद्यालय बना का निर्दिष्ट उल्लेख, जहाँ ही वह इन अर्थों में था वह नाम विशेष ले न हो, पहली बार भारत वर्ष एक्ट, 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में प्रस्ताव गोपनी में किया था।

1922 में ही, श्रीमती एनी बेसेंट की पटल पर केन्द्रीय विद्याभंडाल के दोनों सदस्यों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक बिमला में आयोजित की गई थी। इसमें लोकविद्या के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके अलावा, फरवरी, 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय विद्याभंडालों के सदस्यों के हितों लिया। इस सम्मेलन ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वशासी डोमिनियनों के समस्तुल्य एवम् हुए लोकविद्या के आवश्यक

तलों की बपरेखा प्रस्तुत की। 24 अप्रैल को सर जेज बहादुर लालू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने 'सामन्वैत्य ओफ़ इंडिया बिल्ड' का प्रारूप तैयार किया।

प्रारूप बिल, थोड़े से संशोधित रूप में नवंबर, 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के लगभग पेश किया गया। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अंतर: बिल प्रारूप समिति को लौप दिया गया। समिति ने बिल को प्रकाशित किया। इसके बाद बिल ब्रिटेन में लेकर पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के पास भेजा दिया गया। उसके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के 43 नेताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक आपन लगाया गया था। लेकर पार्टी में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और मोड़े-घे बिल के साथ इसे पार्टी द्वारा बिलार कर दिया गया।